न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 02/2025

1. चन्द्रसैन दत्तक पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दराम पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ताराचन्द पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तलाल पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र जालू जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. काशीराम पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. प्रेमा पुत्री जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. रूकमा पुत्री जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—4

निर्णय

दिनांकः—28/8/2025

अपीलांट चन्द्रसैन दत्तक पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर द्वारा विरूद्व नामान्तरण सं. 4642 दिनांक 06.09.2024 रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर को तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक किया गया को, अपास्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

1. लालचन्द पुत्र जालु जाति जाट साकिन सो[illegible]के जो कि आजीवन कुंवारे थे तथा उन्होंने अपीलान्ट का दिनांक [illegible] न खोले किया तथा तब से अपीलान्ट मृतक लालचन्द का खोलायत पुत्र है तथा मृतक लालच[illegible] 8 अन्य भाई बहिने है तथा मृतक लालचन्द का रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue-------

कृषि भूमि खाता सं. 614 के ख.न. 142 की 14.6700 हैक्टर भूमि में 1/6 हिस्सा था चूंकि उनकी बहिनों ने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में तर्क कर दिया था तथा लालचन्द की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 9 के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा खोलायत पुत्र की हैसियत से उनका हिस्सा उसके नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया, जिस पर कोई गौर ही नहीं किया तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में एक वाद प्रस्तुत किया, जो बाद सुनवाई डिक्री कर दिया तथा अपीलान्ट को लालचन्द की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा मृतक लालचन्द के हिस्से की भूमि 1/6 हिस्सा का अपीलान्ट के पक्ष में अन्तिम डिक्री कर दी। उक्त डिक्री की अपीलान्ट ने पालना के लिए आवेदन किया तो मालूम हुआ कि मृतक लालचन्द की कृषि भूमि उनके भाईयों व बहिनो के नाम में नामान्तरण कर दिया गया है जिसमें व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारो पर अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है–

(1) अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत व विधि विरूद्व है तथा काबिले खारीजी के है नकल नामान्तरण सलग्न अपील मीमो है।

(2) चुंकि मृतक लालचन्द अपीलान्ट कुंवारे थे तथा अपीलान्ट उनका खोलायत पुत्र है यह रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 को भली भान्ती ज्ञान था, बावजुद उसके मृतक लालचन्द की भूमि का अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने के गलती कारित की है तथा उक्त नामान्तरण इसी आधार पर काबिले खारीजी के है।

(3) रेस्पोडेन्ट ने अपनी दैनिक डायरी में यह अंकन किया है कि मृतक लालचन्द के वारिसान की जाँच की गयी जबकि अपीलान्ट मृतक लालचन्द का खोलायत पुत्र है, उसके बारे में अपनी डायरी में कोई अंकन नही किया तथा ना ही उसके कोई ब्यान लिये गये, जो कि मन मर्जी से दैनिक डायरी में गलत तथ्यों का अंकन कर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 के नाम से दर्ज कर दी, जो काबिले खारिजी के है।

(4) मृतक लालचन्द जो कि अपीलान्ट कुंवारे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उतराधिकारियों की घोषणा सिविल [illegible] होनी चाहिए थी। मगर रेस्पोडेन्ट सं. 9 उनके [illegible] कर दिए जबकि ना तो उनके उतराधिकारियों के बारे में जांच के [illegible] है तथा ना ही बगैर किसी सिविल न्यायालय के आदेश के बिना मृतक लालचन्द की कृषि भूमि का नाम नामान्तरण करने के अधिकार रखते है जबकि अपीलान्ट उनके मृतक पुत्र है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तथा उसके पक्ष में सक्षम न्यायालय की डिक्री जारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 9 ने अपने अधिकार से परे जाकर उक्त नामान्तरण तस्दीक किया है, जो कि काबिले खारीजी के है।

(5) रेस्पोडेन्ट सं. 9 के द्वारा दैनिक डायरी लिखते समय ना तो रेस्पोडेन्ट सं. 3 व रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 8 उपस्थित ही नही थे तथा अपने मनमाने तरीके से वारिसान तय करके उक्त नामान्तरण दर्ज किया है जो कानूनन गलत तथा काबिले खरीजी के है।

2. चुंकि अपीलान्ट मृतक लालचन्द को खोलायत पुत्र है तथा वह अपने खेत में निवास करता है उनकी मृत्यु के पश्चात जरिये खोलायत की हैसियत से नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए आवेदन किये, मगर नामान्तरण नहीं किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में वाद प्रस्तुत किया, जो डिक्री हो गया व अपीलान्ट को लालचन्द की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उसके पश्चात अपीलान्ट ने भूमि अपने नाम करवाने हेतु इजराय पेश की, तब पटवारी हल्का द्वारा बतलाया की, भूमि का नामान्तरण मृतक लालचन्द के भाई बहिनो के नाम से दर्ज हो चुका है, जिस पर अपीलान्ट के द्वारा नामान्तरण की नकल प्राप्त कर खर्चे दर्ज की व्यवस्था की तथा अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर आज बिना किसी देरी के अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

3. अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं. 4642 दिनांक 06.09.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक लालचन्द की भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस द्वारा तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 ता 3 एंव 5 ता 8 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 एंव 5 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–9 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue--------

अधिवक्ता अपीलांट श्री राजपाल झोरड़ द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024 को तस्दीक किया गया, के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई। अपीलांट मृतक लालचंद का खोलायत पुत्र है। खोलानामा के आधार पर ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 900/2024 अनवान चन्द्रसैन बनाम स्टेट में दिनांक 19.11.2024 को डिक्री पारित की गई। हल्का पटवारी द्वारा मृतक लालचन्द्र पुत्र जालू के मजमेआम मे वारिस तय कर दिये, जिस पर तहसीलदार राजस्व नोहर के हस्ताक्षर भी नहीं, के आधार पर मृतक लालचन्द पुत्र जालू के कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024 तस्दीक कर दिया गया। मृतक लालचन्द अविवाहित था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वारिस तय कर विरासतन नामान्तरण तस्दीक किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायलय द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर खोलायत/दत्तक पुत्र की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय सिविल न्यायालय नोहर द्वारा खोलानाम पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खोलानामा न होकर शपथ–पत्र है। अपंजीकृत खोलानामा विधिमान्य नहीं होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित डिक्री में रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। हल्का पटवारी द्वारा मजमेआम में दैनिक डायरी में मृतक लालचन्द के वारिस अंकित किये है जिस पर गांव के अन्य मौजिज व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर है। नियमानुसार 13 वर्ष के अधिक आयु के किसी व्यक्ति को खोलायत नहीं लिया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन नामान्तरण सही दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अध्ययन किया गया तो पाया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खोलानामा पंजीकृत नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय नोहर द्वारा सीएम(आर) संख्या– 03/2025 रामलाल बना[illegible] में दिनांक 13.02.2025 को पारित स्थगन आदेश में पांबद किया है कि प्रश्नगत [illegible] दिनांक 31.01.2014 के आधार पर नए दस्तावेज राशनकार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास इत्यादी तैयार करनें व लालचन्द की कृषि भूमि को स्वंय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें से निषेद्ध रहे"। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

 continue--------

प्रकरण संख्या 02/2025 अनवान चन्द्रसैन बनाम जगदीश आदि

में मृतक लालचन्द के हिस्से की कृषि भूमि हिस्से की 1/6 भूमि का हल्का पटवारी द्वारा मजमेंआम में गांव में मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ एंव उनकी उपस्थिति में तैयार दैनिक डायरी रिपोर्ट के आधार पर विरासतन नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024 तस्दीक किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर में प्रस्तुत दावा प्रकरण संख्या 900/2024 अनवान चन्द्रसैन बनाम राजस्थान सरकार में रेस्पोडेन्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 4642 दिनांक 06.09.2024 विधि सम्मत एंव न्यायौचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/8/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested